

## सामाजिक न्याय सागर

### महत्वपूर्ण रिकार्ड 4.1 (बी)

- (1) स्थापना
- (2) लेखा
- (3) सामाजिक सहायता ,
- (4) सुधारात्मक सेवा
- (5) निःशक्त कल्याण
- (6) शिकायत
- (7) न्यायालयीन कार्य
- (8) तकनीकी शाखा
- (9) निरीक्षण
- (10) भंडार
- (11) कलापथक
- (12) निराकरण की अवधि
- (13) नवीन योजनाओं की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	वेतनमान	वेतन	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता
1	श्रीमती राजश्री राय	15600-39100	28250	6600	15683

#### 4.1 (बी) I

रिकार्ड का वर्गीकरण  
संस्थान के दायित्व एवं कार्य की जानकारी  
सामाजिक न्याय विभाग के दायित्व कार्य से संबंधित जानकारी राज्य स्तरीय वेबसाईट में प्रकाशित की गई है। जानकारी हेतु कृपया अवलोकन कीजिए।

सागर जिला स्तर पर विभाग की निम्नानुसार गतिविधियां संचालित हैं :-

#### 1. निःशक्त कल्याण :-

- 1.1 शासकीय संस्थान दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर का संचालन
- 1.2 मानसिक रूप से अविकसित बालक/बालिकाओं के लिए संभाग स्तर पर आवासीय विद्यालय का संचालन
- 1.3 अशासकीय संस्थाओं के विभागीय मान्यता एवं सहायक अनुदान संबंधी कार्य।
- 1.4 निःशक्त छात्रों को निःशक्त छात्रवृत्ति का वितरण।
- 1.5 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन।
- 1.6 निःशक्तजनों की कृत्रिम अंग उपकरण सहायता स्पर्श अभियान का संचालन।
- 1.7 मंदबुद्धि/बहुविकलांग सहायता योजना का संचालन।
- 1.8 निःशक्त छात्र/छात्राओं को विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति का वितरण, छात्र गृह योजना, वृत्तिकर में छूट, निःशक्तजन अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन योजना 2008
- 1.9 निःशक्तजन को उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडीकल मेनेजमेन्ट, कम्प्यूटर) के स्नातक, स्नातकोत्तर की शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता
- 1.10 नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अन्तर्गत लोकल लेवल कमेटी की गतिविधियां लीगल गार्जियनशिप

#### 2. सुधारात्मक सेवाएँ :-

- 2.1 मद्यनिषेध कार्यक्रम, विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार योजना
- 2.2 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007
- 2.3 वृद्धाश्रम का संचालन, रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से वृद्धाश्रम का संचालन।

#### 3. सामाजिक सहायता कार्यक्रम :-

- 3.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संचालन।
- 3.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन।
- 3.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का संचालन।
- 3.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना का संचालन।
- 3.5 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का संचालन।
- 3.6 मुख्य मंत्री कन्यादान योजना का संचालन।
- 3.7 मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन।
- 3.8 कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना का संचालन।

#### 4.1 (बी) II

निर्णय लेने की प्रक्रिया जो अपनायी जाती है जिसमें चेनल तथा पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सम्मिलित है।

संबंधित लिपिक कर्मचारी	मुख्य लिपिक	निर्णयकर्त्ता
स्थापना		
लेखा	मुख्य लिपिक	1) संयुक्त संचालक
योजनाएँ		2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
कलापथक	प्रस्तुतीकरण सहायक / प्रमुख कलाकार	3) कलेक्टर जिला सागर

### 4.1 (बी) III

योजनाओं के क्रियान्वयन का मापदण्ड :-

क्र.	योजना का विवरण	स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी	निपटारे की समय सीमा	अपील/निराकरणकर्ता अधिकारी
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिये आयुक्त नगर निगम, अधिशाषी अधिकारी छावनी सागर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 दिवस	संबंधित क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	---"---	60 दिवस	---"---
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	---"---	60 दिवस	---"---
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	---"---	60 दिवस	---"---
5	राष्ट्रीय परिवार सहायता	---"---	30 दिवस	---"---
6	मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अन्तर्गत पंजीयन हेतु संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत के माध्यम से</li> <li>योजना में पंजीकृत मजदूरों को लाभांश स्वीकृति हेतु संबंधित क्षेत्र का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत</li> </ul>	निर्धारित नहीं है।	तहसीलदार/नायब तहसीलदार
7	मुख्य मंत्री कन्यादान योजना	<ul style="list-style-type: none"> <li>कन्या की पात्रता का परीक्षण ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निकाय का अधिकारी</li> <li>सामूहिक विवाह के आवेदनों की स्वीकृति जिला स्तर पर जिला कलेक्टर</li> </ul>	विवाह आयोजन की तिथि के 15 दिवस पूर्व से	—
8	निःशक्त छात्रवृत्ति	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों के लिये संयुक्त संचालक	30 दिवस	कलेक्टर
9	मंदबुद्धि/बहुविकलांग सहायता योजना	कलेक्टर	निर्धारित नहीं है।	—
10	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	संयुक्त संचालक	निर्धारित नहीं है।	—
11	निःशक्तजन को उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडीकल मेनेजमेन्ट, कम्प्यूटर) के स्नातक, स्नातकोत्तर की शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन	विश्वविद्यालय/महा विद्यालय के प्राचार्य एवं संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय	—	—

	निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता			
12	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	कलेक्टर	निर्धारित नहीं है।	—
13	मेडीकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण-पत्र एवं कृत्रिम अंग उपकरण सहायता, निःशक्तजन परिचय पत्र पासबुक	जिला मेडीकल बोर्ड एवं जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र	30 दिवस	—
14	वृत्तिकर छूट प्रमाण-पत्र	संयुक्त संचालक	7 दिवस	—
15	विभागीय मान्यता	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ आयुक्त सामाजिक न्याय,</li> <li>▪ जिला स्तर पर विभागीय मान्यता के प्रस्ताव परीक्षण एवं अग्रेषण अवधि</li> </ul>	51 दिवस	—
16	अनुदान प्रस्ताव	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ आयुक्त सामाजिक न्याय एवं शासन</li> <li>▪ जिला स्तर पर अनुदान प्रस्ताव परीक्षण एवं अग्रेषण</li> </ul>	21 दिवस	—

#### 4.1 (बी) IV

निर्धारित संख्यात्मक वार्षिक लक्ष्य :-

क्र	गतिविधि कार्यक्रम	निर्धारित समयवधि	गुणात्मक मापदण्ड	संख्या
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	60 दिवस	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध/वृद्धा</li> <li>▪ 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता महिलाएँ</li> <li>▪ 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त व्यक्ति</li> <li>▪ बी.पी.एल परिवार के 6 वर्ष से 14 वर्ष के निःशक्त अध्ययनरत बच्चों का</li> </ul>	31763
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	60 दिवस	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध/वृद्धा	40377
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	60 दिवस	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 64 वर्ष की आयु समूह की विधवा महिलाएँ	6228
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	60 दिवस	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 64 वर्ष की आयु समूह के निःशक्त व्यक्ति	1510
5	राष्ट्रीय परिवार सहायता	30 दिवस	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 वर्ष से अधिक 59 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता	—
6	मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	निर्धारित नहीं है।	ग्रामीण खेतीहर भूमिहीन मजदूर जो कृषि मजदूरी से जीवन यापन करता है।	400
7	मुख्य मंत्री कन्यादान योजना	समूहिक विवाह आयोजन की तिथि से 15 दिवसपूर्व	मध्य प्रदेश निवासी, निराश्रित एवं निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता ने विधि द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। सामूहिक विवाह के इच्छुक हों।	7398
8	निःशक्त छात्रवृत्ति	30 दिवस	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्ययनरत 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले निशक्त विद्यार्थी</li> <li>▪ पालक की वार्षिक आय 96000 रु सलाना से अधिक न हो</li> <li>▪ विगत परीक्षा उत्तीर्ण हो।</li> </ul>	—
9	मंदबुद्धि/बहुविकलांग सहायता योजना	निर्धारित नहीं है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ निःशक्तजन म.प्र. का निवासी हो।</li> <li>▪ मेडीकल बोर्ड के प्रमाण पत्र में बहु विकलांग/मानसिक मंदता का स्पष्ट उल्लेख</li> <li>▪ 6 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र</li> <li>▪ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला</li> <li>▪ निःशक्तजन का माता या पिता या पालक के साथ संयुक्त फोटो</li> <li>▪ निर्धारित प्रपत्र में समस्त संलग्नक सत्यापन के साथ — ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में</li> </ul>	334

			संबंधित नगर निकाय के अधिकारी द्वारा अग्रेषण	
10	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	निर्धारित नहीं है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ निःशक्त अभ्यार्थी की निःशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो। निःशक्त अभ्यार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा में निशक्त जन के उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि निःशक्त/अभ्यार्थी को एक बार एक स्तर की राशि देय होगी।</li> <li>■ प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।</li> </ul>	04
11	निःशक्तजन को उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडीकल मेनेजमेन्ट, कम्प्यूटर) के स्नातक, स्नातकोत्तर की शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मध्य प्रदेश का मूल निवासी</li> <li>■ न्यूनतम 40 प्रतिशत की निशक्तता</li> <li>■ मध्य प्रदेश स्थित शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र/छात्रा हो।</li> <li>■ पालक की आय रु 96000 से अधिक न हो।</li> <li>■ किसी अन्य विभाग से शिक्षण शुल्क की सुविधा प्राप्त न कर रहा हो।</li> <li>■ किसी सेमेस्टर वर्ष में अनुत्तीर्ण होने पर उस वर्ष में शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता की पात्रता नहीं होगी।</li> </ul>	
11	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	निर्धारित नहीं है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ म.प्र. राज्य का स्थाई निवासी हो।</li> <li>■ दंपत्ति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित न हो।</li> <li>■ शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो।</li> <li>■ विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।</li> <li>■ जिला मेडीकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या अधिक का होना आवश्यक है।</li> <li>■ संबंधित ग्रामीण अथवा नगर निकाय से अग्रेषण</li> </ul>	45
12	मेडीकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण-पत्र एवं कृत्रिम अंग उपकरण सहायता	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ सोमवार के दिन जिला मेडीकल बोर्ड समक्ष निशक्त जन को निशक्तता दर्शित फोटो के साथ उपस्थित होने पर मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र</li> <li>■ चिकित्सक की सलाह से जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र द्वारा निःशक्तजन को संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार कृत्रिम अंग सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।</li> </ul>	

13	कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना	--	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्य/ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 50000/- तक है या शहरी क्षेत्र में अचल संपत्ति का बाजार मूल्य पांच लाख रु है/ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के पास अधिकतम 6 एकड़ तक कृषि भूमि है तथा अधिकतम 6000 रु वार्षिक अंशदान जमा करने इच्छुक हों।	-
----	-----------------------------------	----	---	---

#### 4.1 (बी) V

नियम, निर्देश आदेश, मेन्युअल, रिकार्ड जिसका संधारण कार्यालय नियंत्रण में किया गया है। सामाजिक न्याय विभाग (म.प्र.) की वेब साईट में विभाग द्वारा तैयार वेबसाईट में उक्त सभी आदेश निर्देश मेन्युअल का प्रकाशन किया गया है। विभाग द्वारा दर्शाई गई सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं संचालन विभाग द्वारा निर्धारित आदेश/निर्देश के अनुसार किया जाता है। अतः कृपया विभाग की वेबसाईट का अवलोकन करें।

#### 4.1 (बी) VI

योजनाओं के क्रियान्वयन नीति के निर्धारण हेतु कोई समिति हो तो उसकी जानकारी।  
जिला स्तरीय सामाजिक सहायता समिति :-

क्र	सदस्यों का नाम	पद
1	अध्यक्ष जिला पंचायत सागर	अध्यक्ष
2	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांति एक तिहाई विधायक गण	सदस्य
4	जिले की चार जनपद पंचायतों के अध्यक्ष	सदस्य
5	नगर निगम के महापौर	सदस्य
6	एक एक नगर पालिका/नगर पंचायत के अध्यक्ष	सदस्य
7	कलेक्टर सागर	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर	सदस्य
9	संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय	सदस्य/सचिव



#### 4.1 (बी) VII

निःशक्तजनों के समग्र पुनर्वास कार्यक्रम के क्रियान्वयन संचालन हेतु गठित समिति

##### लोकल लेवल कमेटी

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. कलेक्टर                       | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त संचालक                | सदस्य   |
| 3. अशासकीय संस्था के डा0इनाम खान | सदस्य   |

##### दीनदयाल अन्त्योदय मिशन क्रियान्वयन समिति

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. कलेक्टर                                    | अध्यक्ष              |
| 2. संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय               | सचिव                 |
| 3. पुलिस अधीक्षक                              | सदस्य                |
| 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत        | सदस्य                |
| 5. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र | सदस्य                |
| 6. जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य अधिकारी          | सदस्य                |
| 7. आदिम जाति कल्याण विभाग                     | सदस्य                |
| 8. जिला एवं महिला बाल विभाग                   | सदस्य                |
| 9. उपाध्यक्ष जिला पंचायत सागर                 | सदस्य                |
| 10. सागर महिला एवं बाल समिति                  | सदस्य/अशासकीय संस्था |
| 11. सेवा पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र        | सदस्य/अशासकीय संस्था |

##### जिला स्तरीय स्पर्श अभियान क्रियान्वयन समिति

जिला स्तर पर स्पर्श अभियान 2011 के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सहयोजित कर जिला क्रियान्वयन समिति गठित की गई है:-

- |  |          |
|--|----------|
| 1. कलेक्टर जिला सागर   | अध्यक्ष, |
| 2. पुलिस अधीक्षक जिला सागर   | सदस्य,   |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सागर                   | सदस्य,   |
| 4. आयुक्त नगर पालिक निगम जिला सागर                                 | सदस्य,   |
| 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर                  | सदस्य,   |
| 6. जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड जिला सागर                              | सदस्य,   |
| 7. जिला जेल अधीक्षक जिला सागर                                      | सदस्य,   |
| 8. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जिला सागर                | सदस्य,   |
| 9. मनोचिकित्सक बुन्देलखण्ड मेडीकल कालेज जिला सागर                  | सदस्य,   |
| 10. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर                                  | सदस्य,   |
| 11. जिला रोजगार अधिकारी जिला सागर                                  | सदस्य,   |
| 12. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला सागर                   | सदस्य,   |
| 13. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र जिला सागर            | सदस्य,   |
| 14. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला सागर           | सदस्य,   |
| 15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत व्यवसायी विकास निगम जिला सागर | सदस्य,   |
| 16. परियोजना अधिकारी जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना जिला सागर         | सदस्य,   |
| 17. संयुक्त संचालक जन संपर्क जिला सागर                             | सदस्य,   |
| 18. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सागर                          | सदस्य,   |
| 19. सहायक प्रबंधक खादी ग्राम उद्योग जिला पंचायत जिला सागर          | सदस्य,   |
| 20. नोडल अधिकारी जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र जिला सागर           | सदस्य,   |
| 21. सचिव जिला रेडक्रास सोसाईटी जिला सागर                           | सदस्य,   |
| 22. स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि :-                            |          |

- सचिव सेवा शिक्षण-प्रशिक्षण पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्था जिला सागर सदस्य,
  - निदेशक अवसर पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र जिला सागर सदस्य,
  - सचिव, मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी समिति जिला सागर सदस्य,
  - जिला समन्वयक जन अभियान परिषद जिला सागर सदस्य
23. संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सागर संभाग सागर सचिव सदस्य,
- जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य**
1. माननीय सांसद जी जिला सागर
  2. माननीय विधायकगण (समस्त) जिला सागर
  3. माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जिला सागर
  4. माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत (समस्त) जिला सागर
  5. माननीय महापौर नगर निगम सागर जिला सागर
  6. माननीय अध्यक्ष नगर पालिक (समस्त) जिला सागर
  7. माननीय अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समितियां (समस्त) जिला सागर
  8. माननीय उपाध्यक्ष जिला अन्त्योदय समिति सागर जिला सागर
  9. बुंदेल खंड मेडीकल कालेज सागर के डीन जिला सागर
  10. लीड बैंक मेनेजर सेन्ट्रल बैंक जिला सागर
  11. नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा जिला सागर
  12. प्राचार्य पालीटेक्निक महाविद्यालय जिला सागर
  13. प्राचार्य आई.टी.आई जिला सागर
  14. परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण जिला सागर
- विवेकानंद नशामुक्ति पुरुस्कार योजना हेतु जिला स्तरीय समिति**
1. कलेक्टर जिला सागर पदेन अध्यक्ष,
  2. संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सागर सचिव,
  3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर सदस्य
  4. दो अशासकीय समाजसेवी माननीय मंत्री द्वारा अनुमोदित सदस्य
- जिला स्तरीय वृद्धजन समिति**
1. कलेक्टर चेयर पर्सन
  2. पुलिस अधीक्षक सदस्य
  3. मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य
  4. चेयरपर्सन रोटरी/लायंस क्लब सदस्य
  5. सचिव रेडक्रास सोसायटी सदस्य
  6. दो सामाजिक कार्यकर्त्ता (एक वृद्धाश्रम से) सदस्य
  7. पेंशनर संगठन के प्रतिनिधि सदस्य
  8. दो दानदाता (डोनर) सदस्य
  9. उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग सदस्य-सचिव.

**4.1 (बी) VIII**  
**अधिकारी/कर्मचारी की निर्देशिका**

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	पता तथा संपर्क क्रमांक
1	श्रीमती राजश्री राय	संयुक्त संचालक	क्वार्टर नं 17 ई न्यू कालोनी सागर
2	श्री नंदगिरी	संभागीय मुख्य लिपिक	शनीचरी वार्ड सागर
3	श्री राकेश कुमार नगरिया	लेखापाल	श्रीराम नगर वृन्दावन वार्ड सागर
4	श्रीमती आशा पाटकार	सहायक ग्रेड दो	परमानंद कालोनी सिंचाई विभाग के पीछे शिवाजी नगर वार्ड सागर
5	श्रीमती विमला जैन	---"---	हनुमान मंदिर के पीछे शास्त्री वार्ड सागर
6	श्रीमती राजेश श्रीवास्तव	---"---	वेयर हाउस के पास गोपालगंज सागर
7	श्री हरिशंकर अग्रवाल	---"---	बेरिस्टर डाट जवाहर गंज सागर
8	श्री रामविशाल तिवारी	---"---	कमल चक्की के पास वैभव स्टूडियों के सामने गोपालगंज
9	श्री विनोद कुमार जैन	सहायक ग्रेड तीन	गिडियन कंपाउन्ड सिविल लाईन 3 लाल स्कूल के पास गोपालगंज
10	श्रीमती रेखा जैन	---"---	क्वार्टर नं 151 दीनदयाल नगर सागर
11	श्रीमती राजलक्ष्मी गंगोत्रे	---"---	श्रीराम नगर वृन्दावन वार्ड सागर
12	श्री अबरार अहमद	---"---	पुलिस चौकी के पास शनीचरी सागर
13	श्री संजीव जाटव	---"---	
14	श्री अरविन्द सेन	---"---	ज्योति भवन के पीछे यादव कालोनी सागर
15	श्री प्रतीक कटारे	---"---	तिलि रोड बंजारा झील के सामने अहमदनगर
16	श्री आशाराम कटारया	प्रस्तुतिकरण सहायक	आशाराम साहू किराना स्टोर के सामने सुभाष नगर बड़कुंआ के पास
17	श्री देवीसिंग राजपूत	प्रमुख कलाकार	मोती नगर वार्ड
18	श्री केशव प्रसाद चौबे	कलाकार	शनीचरी वार्ड पुलिस चौकी के पास सागर
19	श्री पूरनलाल कटारया	---"---	गौर नगर मकरोनिया प्लाट नं 131, 600 सागर
20	श्री प्रेमसिंह यादव	---"---	गोविंद प्रसाद सोनी के पास श्रीराम नगर तिली रोड
21	श्री मुकेश टांक	---"---	बंगला न 9 अशोक रोड कैंट सागर
22	श्री रतनसिंह गौड	---"---	कमल किशोर बाबू नाखरे गली गोपालगंज सागर
23	श्री अमृत सिंह ठाकुर	वाहन चालक	सुदंर लाल साहू आटा चक्की के पास राजीव नगर वार्ड सागर
24	श्री बाबूलाल रैकवार	भृत्य	रानीपुरा के पास पुरव्याउ टौरी सागर
25	श्री संतोष अहिरवार	भृत्य	चन्द्रशेखर वार्ड सागर
26	श्री रमेश कुमार राजपूत	भृत्य	गोपालगंज सागर
27	श्री किशोर कुमार	भृत्य	बंगला नं 6 पुराना आर.टी.ओ आफिस के पीछे केन्ट सागर
28	श्री टीकाराम पटेल	स्वच्छक	ठकरास मोहल्ला ढाना

**4.1 (बी) IX**  
**अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त मासिक वेतन भत्ते**

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	वेतन	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता
1	श्रीमती राजश्री राय	संयुक्त संचालक	15600-39100	28250	6600	15683
2	श्री नंदगिरी	संभागीय मुख्य लिपिक	5200-20200	15520	2800	8244
3	श्री राकेश कुमार नगरिया	लेखापाल	5200-20200	10970	2400	6017
4	श्रीमती आशा पाटकार	सहायक ग्रेड दो	5200-20200	11630	2400	6314
5	श्रीमती विमला जैन	---	5200-20200	13340	2400	7083
6	श्रीमती राजेश श्रीवास्तव	---	5200-20200	11250	2400	3513
7	श्री हरिशंकर अग्रवाल	---	5200-20200	11630	2400	4911
8	श्री रामविशाल तिवारी	---	5200-20200	10970	2400	6017
9	श्री विनोद कुमार जैन	सहायक ग्रेड तीन	5200-20200	10150	2100	5513
10	श्रीमती रेखा जैन	---	5200-20200	9650	2100	5288
11	श्रीमती राजलक्ष्मी गंगोत्रे	---	5200-20200	8960	2100	4977
12	श्री अबरार अहमद	---	5200-20200	8040	1900	4473
13	श्री संजीव जाटव	---	5200-20200	5680	1900	3411
14	श्री अरविन्द सेन	---	5200-20200	5680	1900	3411
15	श्री प्रतीक कटारे	---	5200-20200	5200	1900	3195
16	श्री आशाराम कटारया	प्रस्तुतिकरण सहायक	5200-20200	10180	2800	5841
17	श्री देवीसिंग राजपूत	प्रमुख कलाकार	5200-20200	9800	2100	5355
18	श्री केशव प्रसाद चौबे	कलाकार	5200-20200	9880	2400	5526
19	श्री पूरनलाल कटारया	---	5200-20200	8620	2400	4959
20	श्री प्रेमसिंह यादव	---	5200-20200	9350	2400	5288
21	श्री मुकेश टांक	---	5200-20200	8760	2400	5022
22	श्री रतनसिंह गौड	---	5200-20200	8290	2400	4811
23	श्री अमृत सिंह ठाकुर	वाहन चालक	5200-20200	9790	2400	5486
24	श्री बाबूलाल रैकवार	भृत्य	5200-20200	7910	1800	4370
25	श्री संतोष अहिरवार	भृत्य	4440-7440	6630	1300	3569
26	श्री रमेश राजपूत	भृत्य	4440-7440	4440	1300	2583
27	श्री किशोर कुमार	भृत्य	4440-7440	4440	1300	2583
28	श्री टीकाराम पटेल	स्वच्छक	कलेक्टर दर पर	4995	—	—

4.1 (बी) X

निःशक्त कल्याण/सामाजिक सहायता योजना/कार्यक्रम हेतु प्राप्त वार्षिक बंटन तथा व्यय/वितरण की जानकारी

निःशक्त कल्याण

राशि लाखों में

क्र.	बजट शीर्ष/मांग संख्या	योजना/कार्यक्रम का विवरण	वर्ष 11-12 बजट	व्यय
1	34	मुख्य मंत्री कन्यादान योजना	90.82	90.82
2	41	मुख्य मंत्री कन्यादान योजना	10.00	10.00
3	64	मुख्य मंत्री कन्यादान योजना	22.50	22.50

सामाजिक सहायता अनुभाग

राशि लाखों में

क्र.	बजट शीर्ष/मांग संख्या	योजना/कार्यक्रम का विवरण	वर्ष 11-12 बजट	व्यय
1	9142 ग्रामीण	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	221.10	0
	9142 शहरी	---"---	182.69	0
2	8786 ग्रामीण	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	195.31	0
	8786 शहरी	---"---	175.25	0
3	5863 ग्रामीण	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	10.45	0
	5863 शहरी	---"---	10.27	0
4	5859 ग्रामीण	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	8.86	0
	5859 शहरी	---"---	6.63	0
5	7084 ग्रामीण/शहरी	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	37.00	0
6	5442 ग्रामीण	मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	20.00	20.00

4.1 (बी) XI

सबसिडी प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन तथा इस हेतु आबंटित राशि

क्र.	कार्यक्रम का नाम	प्रशासकीय स्पान्सरशिप विभाग/एजेंसी	वर्ष	राशि आबंटित	लाभान्वितों की संख्या
----- निरंक -----					

इस कार्यालय द्वारा कोई भी सबसिडी प्रोग्राम का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

4.1 (बी) XII

सबसिडी/कन्सेशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जानकारी

क्र.	कन्सेशन का प्रकार	नाम	पता	वर्ष	सहायता का प्रकार	अनुमानित मूल्य कन्सेशन
----- निरंक -----						

इस कार्यालय द्वारा कोई भी सबसिडी/कन्सेशन का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

#### 4.1 (बी) XIII

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी है उन्हें इलेक्ट्रानिक फार्म में परिवर्तित करना है :-

क्र.	वर्गीकरण	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मार्गदर्शिका	उपलब्ध	निरंक
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	उपलब्ध	निरंक
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	उपलब्ध	निरंक
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	उपलब्ध	निरंक
5	राष्ट्रीय परिवार सहायता	उपलब्ध	निरंक
6	निःशक्त छात्रवृत्ति के नियम	उपलब्ध	निरंक
7	स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता के नियम	उपलब्ध	निरंक
8	निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं सहभागिता अधिनियम 1995	उपलब्ध	निरंक
9	नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 एवं नियम 2003	उपलब्ध	निरंक
10	निराश्रित निर्धन सहायता अधिनियम	उपलब्ध	निरंक
11	मंदबुद्धि/बहुविकलांग सहायता योजना	उपलब्ध	निरंक
12	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	उपलब्ध	निरंक
13	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	उपलब्ध	निरंक
14	मेडीकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण-पत्र एवं कृत्रिम अंग उपकरण सहायता	उपलब्ध	निरंक
15	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007	उपलब्ध	निरंक

#### 4.1 (बी) XIV

नागरिकों को कार्यालय समय तथा उसके पश्चात् जानकारी प्राप्त करने के स्रोत

क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	खुलने का समय	संपर्ककर्ता का दूरभाष क्रमांक
1	विभाग की वेबसाईट	आयुक्त सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश भोपाल	कार्यालयीन दिन कार्यालयीन समय तथा वेबसाईट पर लाईब्रेरी की व्यवस्था नहीं है।	0755-2556919 कार्यालय
2	जिला स्तर की वेबसाईट	संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय जिला सागर	कार्यालयीन दिन कार्यालयीन समय तथा जिले की वेबसाईट पर जिला सूचना केन्द्र सागर	07582-223524 कार्यालय

#### 4.1 (बी) XV

लोक सूचना अधिकारी विषयक जानकारी

- |    |       |   |                              |
|----|-------|---|------------------------------|
| 1. | नाम   | — | श्रीमती राजश्री राय          |
| 2. | पदनाम | — | संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय |

3.	दूरभाष	—	सागर संभाग सागर 07582-223524
4.	ई-मेल	—	<a href="mailto:pswsag@mp.nic.in">pswsag@mp.nic.in</a>
5.	कार्यालय का पता	—	वृन्दावन बाग मंदिर के पास (बंगाली काली मंदिर के बाजू में) गोपालगंज सागर
6.	मिलने का समय	—	दोपहर 2:00 बजे से 3:00 कार्यालयीन दिवसों में

#### 4.1 (बी) XVI

ऐसी जानकारी जो प्रिस्क्रीन है उसे प्रति वर्ष अद्यतन कर प्रकाशित करना है। अन्य कोई जानकारी जो नागरिकों से संबंधित है। अभी अद्यतन जानकारी वर्तमान स्थिति में प्रस्तुत की गई है। इसे प्रति वर्ष अद्यतन किया जावेगा।

#### 4.1 (बी) XVII

ऐसी सभी जानकारी निर्धारित है प्रकाशन पश्चात् प्रति वर्ष उसे अद्यतन की जावे अन्य कोई जानकारी जो नागरिकों से संबंधित है जोड़ी जावे।

उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।